

To Make Registry Without Property Tax

132. Sh. NEERAJ SHARMA (Faridabad Nit):

Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that the Municipal Corporation, Faridabad had written vide letter no. MCF/CTP/2021/1910, dated 09.08.2021 to the Sub-Registrar, Badkhal to not execute the registry of the khasra no. 35/25, 36/21/1, 39/1, 2, 3, 4/1, 7/2, 8, 9, 10, 40/5, 6 total 70 kanal, 14 marla as an amount of Rs.23,96,30,131 of E.D.C and Rs.17,82,448 of property tax of Municipal Corporation Faridabad are outstanding on the revenue record of Sarai Khawaja, Faridabad;

b) if so, whether the registry of the said land has been made; if so, the basis for which the registry has been made; and

c) whether it is a fact that an outstanding amount of Rs. 3976875 of Municipal Corporation and Rs. 112180505 of E.D.C. have been deposited by the M/S Forging Pvt. Ltd. 1216, DM Road, Faridabad through official Liquidator Mr. Sanjeev Bhushan Deora 606 New Delhi, House 27, Bara Khamba road, New Delhi; if so, the complete details of the payment and if not, the action being taken by the Government for the recovery of amount?

DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

a) As per information received from Municipal Corporation, Faridabad, through Deputy Commissioner, Faridabad, Municipal Corporation, Faridabad had written vide letter no. MCF/CTP/2021/1910, dated **09.08.2021** to the Sub-Registrar, Badkhal that the registry of the khasra no. 35//25, 36//21/1, 39//1, 2, 3, 4/1, 7/2, 8, 9, 10, 40//5, 6 total 70 kanal, 14 marla be not executed due to an outstanding amount of Rs.23,96,30,131 of E.D.C. and Rs.17,82,448 of property tax of Municipal Corporation Faridabad on the revenue record of Sarai Khawaja, Tehsil Badkhal, Faridabad, while Certificate of Sale No. 2378 has been registered on **04.08.2021** prior to the receipt of the letter dated **09.08.2021** from Municipal Corporation, Faridabad as stated above.

b) As per information received from Municipal Corporation, Faridabad, through Deputy Commissioner, Faridabad, the registry of the said land has been registered in the office of Sub-Registrar, Badkhal, in view of provisions of the Registration Act, 1908 vide Certificate of Sale No. 2378 on **04.08.2021**, a few days before Municipal Corporation, Faridabad had written the said letter.

c) As per information received from Municipal Corporation, Faridabad, through Deputy Commissioner, Faridabad, an outstanding amount of Rs. 39,76,875 of Municipal Corporation and Rs. 11,21,80,505 of E.D.C. have not been deposited by the M/S Forging Pvt. Ltd. 1216, DM Road, Faridabad against the above mentioned khasra nos. in the revenue record of Sarai Khawaja, Faridabad, and Commissioner, Municipal Corporation, Faridabad, issued notice vide Memo No. MCF/CTP/2022/1300, dated 29.06.2022, 05.07.2022 and 30.08.2022, to M/s Mars Infra Engineering Pvt. Ltd. & Ors to pay the outstanding amount.

संपत्ति कर के बिना रजिस्ट्री कराना

132 श्री नीरज शर्मा (फरीदाबाद एनआईटी):

क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि:-

क) क्या यह तथ्य है कि नगर निगम, फरीदाबाद ने यादी क्रमांक एम.सी.एफ./सी.टी.पी./2021/1910, दिनांकित 09.08.2021 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, बड़खल को खसरा नंबर 35/25, 36/21/1, 39/1, 2, 3, 4/1, 7/2, 8, 9, 10, 40/5, 6 कुल 70 कनाल, 14 मरले की रजिस्ट्री न करने के बारे में लिखा था क्योंकि सराय ख्वाजा, फरीदाबाद के राजस्व रिकॉर्ड पर नगर निगम फरीदाबाद का रुपये 23,96,30,131 ई.डी.सी. तथा रुपये 17,82,448 का संपत्ति कर बकाया है;

ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त भूमि की रजिस्ट्री हो गयी है; यदि हां, तो रजिस्ट्री किस आधार पर की गई है; तथा

ग) क्या यह तथ्य है कि एम/एस फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड 1216 एस.डी.एम. रोड फरीदाबाद द्वारा आफिशियल लिक्वीडेटर (आधिकारिक परिसमापक) श्री संजीव भूषण देवड़ा 606 नई दिल्ली, हाउस 27, बारा खंबा रोड, नई दिल्ली के माध्यम से नगर निगम की बकाया राशि रुपये 3976875 रु. तथा ई.डी.सी. के रुपये 112180505 जमा कराए गए हैं; यदि हाँ, तो तो भुगतान का संपूर्ण ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो राशि की वसूलने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री, हरियाणा

क) नगर निगम, फरीदाबाद से उपायुक्त, फरीदाबाद के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार, नगर निगम, फरीदाबाद के यादी क्रमांक एम.सी.एफ./सी.टी.पी./2021/1910, दिनांकित 09.08.2021 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, बड़खल को खसरा नंबर 35//25, 36//21/1, 39//1, 2, 3, 4/1, 7/2, 8, 9, 10, 40//5, 6 कुल 70 कनाल, 14 मरले की रजिस्ट्री न करने के बारे में लिखा था क्योंकि सराय ख्वाजा, फरीदाबाद के राजस्व रिकॉर्ड पर नगर निगम फरीदाबाद का रुपये 23,96,30,131 ई.डी.सी. तथा रुपये 17,82,448 का संपत्ति कर बकाया है; जबकि बिक्री प्रमाण पत्र नंबर 2378 दिनांक 04.08.2021 को नगर निगम, फरीदाबाद के पत्र दिनांकित 09.08.2021 की प्राप्ति से पहले पंजीकृत किया जा चुका है जैसा कि ऊपर वर्णित है।

ख) उपायुक्त, फरीदाबाद के माध्यम से नगर निगम, फरीदाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार, उक्त भूमि के वसिका का पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के मद्देनजर नगर निगम, फरीदाबाद के उक्त पत्र लिखने से कुछ दिन पहले दिनांक 04.08.2021 को विक्रय प्रमाण पत्र संख्या 2378 पर उप-रजिस्ट्रार, बड़खल के कार्यालय में पंजीकृत की गई है।

ग) उपायुक्त, फरीदाबाद के माध्यम से नगर निगम, फरीदाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार, नगर निगम की बकाया राशि 39,76,875 रुपये तथा 11,21,80,505 रुपये ई.डी.सी. मेसर्स फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड 1216, डीएम रोड, फरीदाबाद के उपरोक्त खसरा नंबर, सराय ख्वाजा, फरीदाबाद के राजस्व रिकॉर्ड के विरुद्ध बकाया की वसुली हेतु आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद ने मेमो नंबर एमसीएफ/सीटीपी/2022/1300, दिनांक 29.06.2022, 05.07.2022 और 30.08.2022 के माध्यम से मेसर्स मार्स इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा अन्य को नोटिस जारी किया जा चुका है।